बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधि0 सं0–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–05/2025–............/ पटना, दि0–........... 2026

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम–3 के आलोक में श्री कुमार सर्वजीत, माननीय मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–926 दिनांक–23.12.2025 द्वारा दिनांक–04.12.2025 के प्रभाव से राज्य मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) तथा नियम 3(ङ) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 (अद्यतन संशोधित) एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–288 दिनांक 23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है।

3. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार सर्वजीत, माननीय मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल, बिहार विधान सभा द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में श्री अमित कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0–794/24), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया को अपने आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा पत्रांक–15/आ0, दिनांक–05.01.2026 द्वारा इस स्वघोषणा के साथ दी गयी है कि वे उनके सगे–सम्बन्धी अथवा पारिवारिक सदस्य नहीं है। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पत्रांक–115, दिनांक–21.01.2026 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया था।

4. उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने अधिसूचना ज्ञापांक–2199, दिनांक–30.01.2026 के द्वारा श्री अमित कुमार, बि0प्र0से0 (को0क्र0–794/24) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया की सेवा इस विभाग को उपलब्ध करा दिया है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. श्री अमित कुमार, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

⟹

D:\Format C FINAL_Govt. PS Notification_FAIR COPY(03-09)G-1 N.doc

ज्ञापांक– सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–05/2025–............/ पटना, दि0–........... 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/लेखा–शाखा, बिहार विधान सभा/श्री सर्वजीत कुमार, माननीय मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल, बिहार विधान सभा/श्री अमित कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–05/2025–............/ पटना, दि0–........... 2026

प्रतिलिपि–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके अधिसूचना ज्ञापांक–2199, दिनांक–30.01.2026 के आलोक में को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–05/2025–231/ पटना, दि0–12-02-2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.02.2026

सरकार के अपर सचिव।

D:\Format C FINAL_Govt. PS Notification_FAIR COPY(03-09)G-1 N.doc